मेरठ विकास प्राधिकरण

की

81 वीं बोर्ड बैठक

दिनांक 18 –02 –2008

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण की 81वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18–02–2008 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण की 80वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18–02–2008 को कार्यालय, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के सभागार में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में अपरान्ह 3.00 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्नवत उपस्थिति रहीः–

1.	श्री देवेन्द्र चौधरी	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ	अध्यक्ष
2.	श्री शशि शेखर सिंह	उपाध्यक्ष,मेरठविकास प्राधिकरण, मेरठ	उपाध्यक्ष
3.	श्री ज्ञानेश कुमार	प्रतिनिधि जिलाधिकारी, मेरठ	सदस्य
4.	श्री बाबू राम	अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लखनऊ	सदस्य
5.	श्री डी0 सी0 गुप्ता	प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ	सदस्य
6.	श्री जे0एन0श्रीवास्तव	प्रतिनिधि नगर आयुक्त, मेरठ	सदस्य
7.	श्री आर0पी0 कौशिक	प्रतिनिधि–आयुक्त, एन0 सी0 आर0	सदस्य
9.	श्री ज्ञान सिंह	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ	सदस्य
10.	श्री राम अधार राम	उप महाप्रबन्धक, विद्युत नगरीय, मेरठ	सदस्य
11.	श्री कृपाल सिंह	अधीक्षण अभियन्ता, जल निगम, मेरठ	सदस्य
12	श्रीमती अलका टन्डन	अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), मेरठ	
13.	श्री शैलेन्द्र चौधरी	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	संयोजक

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18–02–2008 के कार्यवृत्त की पुष्टि

मेरठ विकास प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 18–2–08 कार्यवृत्त सभी माननीय सदस्यों को पूर्व में प्रेषित किया गया है। किसी माननीय सदस्य की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। अतः अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्राधिकरण की 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

शताब्दीनगर, गंगानगर, रक्षापुरम योजना के लिए सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाने की प्रगति से बोर्ड अवगत हुआ। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि जल सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के संचालन के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियंता जल निगम तैयार करें और सरकारी/अर्द्धसरकारी एजेन्सी से फिजिविल्टी रिर्पोट तैयार कराकर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये। आगामी बोर्ड बैठकों में सभी योजनाओं की प्रगति का बारचार्ट बनाकर रखा जाया करें।

अनुपूरक प्रस्ताव 76 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

बोर्ड द्वारा चिन्हित कालोनियों को नगर निगम को हस्तान्तरण की प्रगति का अवलोकन किया गया तथा बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि गंगानगर फेस–प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की सड़क ड्रेनेज का हस्तान्तरण दिनांक 29–2–08 तक हो जाये। ड्रेनेज के ऊपर जो अवरोध हो, उनको प्राधिकरण व नगर निगम संयुक्त रूप से अभियान चलाकर हटायें।

गंगानगर विद्युत व्यवस्था नगर निगम को दिनांक 22–2–08 तक हस्तान्तरण कर दें।

गंगानगर द्वितीय चरण जल व्यवस्था को हस्तान्तरण से पहले प्राधिकरण एक ट्यूवेल बनाकर नगर निगम को दिनांक 31–3–08 तक हस्तान्तरण कर दें। प्राधिकरण तथा नगर निगम एग्रीमेन्ट कर लें तथा एस0टी0पी0 लगाने का आदेश नगर निगम दे।

बेगम बाग योजना का हस्तान्तरण दिनांक 22–2–08 तक कर दिया जाये।

डिफेन्स एन्क्लेव में बिजली व्यवस्था का हस्तान्तरण दिनांक 22–2–08 तक नगर निगम को हो जाये।

डिफेन्स एन्क्लेव, श्रृद्धापुरी फेस प्रथम/द्वितीय एवं सैनिक विहार के लिए एस0टी0पी0 हेतु सर्वे दिनांक 29–2–08 तक कर लिया जाये, उसके उपरान्त एस0टी0पी0 प्लान्ट लगवाकर उपरोक्त कालोनियों का सीवरेज व्यवस्था नगर निगम को हस्तान्तरण कर दिया जाये। डिफेन्स एन्क्लेव में डेटवाईज कार्य पूर्ति का चार्ट बना लिया जाये। ड्रेनेज के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में नगर निगम के मुख्य अभियंता ने अवगत कराया कि 200 वर्ग मी0 ड्रेनेज का निर्माण होना अवशेष है इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण ड्रेनेज बनाकर दिनांक 15–3–08 तक ड्रेनेज सिस्टम को नगर निगम को हस्तान्तरण कराये। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा पार्कस की गिरिल भी लगाई जाये। बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की तीन और कालोनियों को चिन्हित कर उनके हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखा जाये।

प्राधिकरण की 79 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या

मद सं0–7

हस्तिनापुर, सरधना एवं मवाना क्षेत्र विस्तार के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई, बोर्ड द्वारा शासन से अभी तक अधिसूचना जारी न होने के सम्बन्ध में शासन से आये प्रतिनिधि से असंतोष व्यक्त किया गया और बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि हस्तिनापुर, सरधना एवं मवाना विकास क्षेत्रों को प्राधिकरण सीमा विस्तार की अधिसूचना जारी करायें तथा यह भी निर्देश दिये गये कि इन क्षेत्रों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों की विकास की योजनाओं को डी0पी0आर0, आई0टी0डी0सी0 से बनवायी जायें। अधिसूचना तत्काल करवाने हेतु आयुक्त की ओर से मुख्य सचिव को पत्र लिखा जाये, जिसकी प्रतिलिपि केबिनेट सचिव को भेजी जाये।

मद सं0–9

जोनल प्लान एवं रोड़ प्लान बनवाने की प्रगति पर बोर्ड द्वारा चर्चा हुई। बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक को निर्देश दिये गये कि वह सेटलाईट इमेजनरी के द्वारा बैसमेप तैयार कराकर दिनांक 20–3–08

तक सहयुक्त नगर नियोजक को उपलब्ध करा दें, तदोपरांत एक माह के अन्दर नगर एवं ग्राम नियोजक जोनल प्लान तैयार कर प्रस्तुत करें।

मद सं0–11

बल्क सैल में भूमि विकय करने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये कि 10–10 एकड़ भूखण्ड विकय किया जाये एवं विज्ञापन पर आने वाले खर्च को कम करने के लिए निर्देश दिये गये कि एक विज्ञापन में विकय की जाने वाली सम्पत्तियों के लिए नीलामी की तीन तिथियां निर्धारित कर दें ताकि विज्ञापन पर अधिक खर्च न हो।

बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की आय–व्यय का अवलोकन किया तथा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक माह प्रत्येक योजना मद का आय–व्यय का ब्यौरा तथा उसमें व्यय में कमी अथवा वृद्धि का स्पष्टीकरण भी रखा जाये। इसका आगामी बोर्ड बैठक में नया एजेण्डा आईटम बनाया जाये।

प्राधिकरण की 80 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद सं0–1

ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव 81 वीं बोर्ड बैठक की मद सं0–4 पर विचारार्थ रखा गया।

मद सं0–2

ऐरा इन्फ्रास्टेक्टर (इंडिया) द्वारा औपचारिकतायें पूर्ण न करने के कारण नक्शा निरस्त किया गया।

मद सं0–3

प्राधिकरण की परिसम्पत्तियों के सम्बन्ध आवंटन परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्ताव 81 वीं बोर्ड बैठक की मद सं0–3 पर विचारार्थ रखा गया।

मद सं0–4

लोहियानगर योजना के अलोकप्रिय भवनों के विक्रय के लिए जो कास्टिंग प्रस्तुत की गयी थी, उसका अनुमोदन किया गया तथा निर्देश दिये गये कि विज्ञापन प्रकाशित कराकर बल्क सैल में विक्रय किया जाये।

मद सं0–5

अवलोकित किया गया।

मद सं0–6

अवलोकित किया गया।

मद सं0–7

अन्य बिन्दुः–

1– आगामी बोर्ड बैठक में स्टेटस रिर्पोट रखी जाये कि कितने नक्शे प्राप्त हुए, श्रेणीवार कितने पास किये गये, कितने पैंडिग रहे।

2– आयुक्त के हस्ताक्षर से शासन को पत्र भिजवायें।

6– जे0एन0आर0यू0एम0 के तहत शहर की यातायात व्यवस्था के लिए टर्म ~~ट्रम्स~~ ऑफ रेफरेन्स राईटस से बनवाया जाये।

प्राधिकरण की 81 वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या–

मद सं0–1

हापुड़ रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने के लिए 45 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग तथा मार्ग के दोनों ओर व हापुड़ मार्ग की जमीन पर आवासीय/व्यवसायिक प्रयोग हेतु भूमि का अर्जन प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा हापुड़ रोड़ से दिल्ली रोड़ को जोड़ने वाले 45 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग व व्यवसायिक उपयोग के लिए 4 हैक्टे0 भूमि को किसानों से आम सहमति बनाकर सर्किल रेट पर अधिग्रहंण करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। यह भी निर्देश दिये गये कि आई0एफ0एल0एस0 से सहमति स्थापित कर उनके द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जाये।

मद सं0–2

दिल्ली रोड़ पर निर्मित बारात घर को शमंन किये जाने के सम्बन्ध में।

दिल्ली रोड़ पर निर्मित बारात घर के शमन प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्देश दिये गये कि अन्य सभी अवैध रूप से संचालित हो रहे बारात घर के विरूद्ध भी शमन की कार्यवाही की जाये। अगर वे लोग शमन नहीं कराते हैं तो उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाये।

मद सं0–3

प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित सम्पत्ति उपलब्ध न हो पाने के कारण आवंटियों की जमा धनराशि की वापसी हेतु प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त निर्देश दिया गया कि किन्ही कारणों से भवन/भूखण्ड आवंटन न होने की दशा में आवंटियों को बिना ब्याज के धनराशि वापस की जाये।

मद सं0–4

ट्रान्सपोर्ट नगर विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

ट्रान्सपोर्ट नगर विकसित किये जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण ट्रान्सपोर्ट नगर के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाही करेगा। तत्पश्चात निजी निवेश कर्ताओं को आमंत्रित करके सम्पूर्ण ट्रान्सपोर्ट नगर को बी0ओ0टी0 आधार पर प्राईवेट सैक्टर ~~को~~ द्वारा विकसित ~~करने~~ की कार्यवाही की जायेगी।

मद सं0–5

मेरठ विकास क्षेत्र में विकसित हुई अवैध कालोनियों के नियमितिकरण के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित अवैध कालोनियों की स्थिति की समीक्षा बोर्ड द्वारा की गयी तथा निर्देश दिये गये कि आगामी बोर्ड बैठक में प्रत्येक श्रेणी की विकसित अवैध कालोनियों का सर्वेक्षण कराने हेतु मुख्य नगर नियोजक एवं सहयुक्त सम्भागीय नियोजक को नामित करते हुए उनसे आख्या आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।

अनुपूरक मद सं0–1

प्राधिकरण की लोहियानगर आवासीय योजना के अन्तर्गत भूमि बल्क सैल के रूप में निस्तारण के सम्बन्ध में ।

बोर्ड द्वारा लोहियानगर आवासीय योजना में 10–10 एकड़ के भूखण्ड बल्कसैल में विक्रय करने हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया तथा नगर निगम, मेरठ को 5 एकड़ भूमि 'सालिडवेस्ट प्लान्ट' के प्रस्ताव को स्थगित करने के निर्देश दिये गये।

(शैलेन्द्र चौधरी)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(शशि शेखर सिंह)
उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

(देवेन्द्र चौधरी)
अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।